



Admission and Fee Regulatory Committee Government of Uttar Pradesh



प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 4191 / प्र०फी०नि०स०/2022
लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2022
कार्यालय आदेश

4857 - TAHIRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, GORAKHPUR आपके डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थान हेतु समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए अनुमन्य करते हुए अधिनियम-2006 एवं विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति कार्यालय के, **आदेश संख्या-2877/प्र०फी०नि०स०/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया।

2. उक्त आदेश दिनांक 23 जून, 2022 के बिन्दु-5 में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान को समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर पंजीकरण करते हुए मानक शुल्क के सम्बन्ध में अपनी आनलाईन सहमति /असहमति व्यक्त करनी थी, परन्तु आपके संस्थान द्वारा मानक शुल्क को स्वीकार /अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी, जो यह दर्शाता है कि आपके संस्थान को समिति कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या-2877/प्र०फी०नि०स०/2022 दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है। उक्त आदेश दिनांक 23.06.2022 के बिन्दु-5 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि “ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की गई और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर आवेदन/प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है।”

3. समिति कार्यालय के आदेश संख्या-2877/प्र०फी०नि०स०/2022 दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए निर्धारित मानक शुल्क आपके संस्थान हेतु अनुमन्य किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	30,150.00
02	डी०फार्मा०	45,000.00
03	डी०आर्की०	30,250.00
04	डी०एच०एम०सी०टी०	31,300.00

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी० फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी० फार्मा० के अतिरिक्त)	22,500

उपरोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। इस प्रकार नियत फीस में छात्रावास फीस विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा फीस एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार की फीस सम्मिलित होगी। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

4. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्थान द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विनियमावली-2015 के बिन्दु-10 में प्राविधानानुसार “**किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपिटेशन फीस छात्रों से नहीं लिया जायेगा।**” समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम-2006 विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या सुसंगत शासनादेशों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दी गई व्यवस्थानुसार संस्थान के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

6. उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण के गठन आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।

राजेश चन्द्रा
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।
- (2) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3, उ०प्र० शासन।
- (3) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
- (5) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- (6) प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश चन्द्रा
सचिव